S.No. 3

कार्यालय कलेक्टर,आदिवासी विकास होशंगाबाद ।

क्रमांक / आदि0वि0 / राहत / 08 / 8396 होशंगाबाद दिनांक 19/12/08

प्रति,

अनुसंधान अधिकारी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल

विषयः— अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कथित अत्चार के संबंध में ।
संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक / एन.सी.एस.टी. / 3101 / म0प्र0 / होशंगाबाद / 14 / 08—जी. आर. दिनांक 28.11.08

—0—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के संलग्न श्री पी.एस.उईके अध्यक्ष म0प्र0 आदिवासी विकास परिषद जिला होशंगाबाद का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सिद्धी बल्द सब्बू ठाकुर निवासी ग्राम दहलवाड़ाकलां की आरोपी सुनील बल्द कोदू रज्जू बल्द कोदू मुन्नीबाई पत्नि कोदू कतिया निवासी ग्राम दहलवाड़ाकलां द्वारा हत्या के फलस्वरूप पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि देने की मांग की गई है ।

इस संबंध में निवेदन है कि मृतक सिद्धी बल्द सब्बू स्वयं अनुसूचित जनजाति का सदस्य था एवं घटना के तीनों आरोपीगण मेहरा अनुसूचित जाति के सदस्य है इस कारण प्रकरण अनुसूचित जाति / जतनजाति के अन्तर्गत पाजीवद्ध नहीं है ।

आकस्मिकसता योजना नियम 1995 के प्रावधान अनुसूचित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या गैर अनुसूसचित जाति / जनजाति द्वारा करने एवं प्रकरण अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज होने पर ही राहत राशि की पात्रता आती है । उक्त प्रकरण में नियमानुसार राहत की पात्रता नहीं आती है ।

पीड़ित परिवार को आकस्मिकता योजना के तहत नियमानुसार राहत की पात्रता न होने से आदिवासी राहत योजना के तहत दिनांक 22.03.07 को रूपये 2,000 / — की अति—संकटापन्न राहत स्वीकृत कर प्रदान की गई है ।

कलेक्टर
होशंगाबाद

डी. (प.नं)
2/1/09

कार्यालय निदेशक/Office of the Director
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल
National Commission for Sch. Tribes, Bhopal
डायरी संख्या/Diary No. 09
दिनांक/Date 5-1-09